भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3787
11 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के प्रभाव का आकलन
3787. श्री सुखजिंदर सिंह रंधावाः
श्री राहुल कस्वांः
श्रीमती संजना जाटवः
क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान विशेषकर भरतपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसानों की आय, कृषि निवेश, उत्पादकता और खेती की लागत के संबंध में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई स्वतंत्र या संस्थागत मूल्यांकन कराया है।
(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;
(ग) उक्त योजना के अंतर्गत लाभान्वित किसानों, अपात्र घोषित किए गए लाभार्थियों, आधार और भू-अभिलेखों के सत्यापन तथा विशेषकर उक्त संसदीय क्षेत्र में लंबित मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों की आय और कृषि निवेश में वृद्धि करने हेतु उक्त योजना की वास्तविक भूमिका के संबंध में कोई विश्लेषण किया है;
(ङ) यदि हां, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;
(च) क्या सरकार का उक्त योजना को अधिक प्रभावी और बेहतर ढंग से लक्षित करने के लिए भू-अभिलेखों के नियमित अद्यतनीकरण, पात्रता संबंधी सत्यापन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित जोखिम विश्लेषण, समयबद्ध शिकायत निवारण और लाभार्थियों के आवधिक पुनः सत्यापन जैसे उपाय करने का विचार है; और
(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ङ): नीति आयोग के विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) द्वारा राजस्थान सहित देश भर में पीएम-किसान योजना का स्वतंत्र प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया गया है। उक्त अध्ययन से पता चला है कि यह योजना कृषि भूमि धारक किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करने के अपने प्राथमिक कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिरता और कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। इस अध्ययन से यह भी पता चला है कि 92 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी किसान वित्तीय सहायता का उपयोग बीज, उर्वरक और कीटनाशक जैसे आवश्यक कृषि इनपुट के लिए करते हैं, जो बढ़ती इनपुट लागत और मौसम-संबंधी अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसमें यह भी पाया गया कि लगभग 85 प्रतिशत लाभार्थियों ने कृषि आय में वृद्धि की सूचना दी।

उक्त मूल्यांकन में यह भी पाया गया कि पीएम-किसान योजना ने किसानों की आर्थिक तंगी को कम करने, अनौपचारिक ऋण पर उनकी निर्भरता को घटाने और उनके सामाजिक-आर्थिक कल्याण में सुधार लाने में योगदान दिया है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि जिन लाभार्थियों विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों ने मुख्य रूप से कृषि कार्यों के लिए सहायता का उपयोग किया, उनकी कृषि आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यह योजना कृषि उत्पादकता को सुदृढ़ करने, आर्थिक अनुकूलता बढ़ाने और सतत ग्रामीण आजीविका को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

पीएम-किसान योजना के अंतर्गत, डीबीटी के माध्यम से धनराशि सीधे लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में अंतरित की जाती है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश लाभार्थियों के डेटा की पुष्टि करने के बाद उनका सत्यापन और अनुमोदन करते हैं। सेवा वितरण को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने के लिए, समय के साथ लैन्ड सीडिंग, बैंक खातों के साथ आधार लिंकिंग और आवेदकों के ईकेवाईसी की जांच और सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। योजना के तहत लाभार्थी के तौर पर पात्र होने और लाभ पाने के लिए किसानों द्वारा अनिवार्य शर्तों को पूरा किया जाना और उनका सत्यापित होना ज़रूरी है।

राजस्थान के अलवर, भरतपुर और दीग जिलों में लाभान्वित लाभार्थियों का विवरण और उन्हें 23वीं किस्त में जारी की गई राशि इस प्रकार है:

जिले का नाम	**23वीं किस्त (दिनांक 26 अप्रैल-26 जुलाई)**	
	लाभार्थियों की संख्या	**वितरित राशि (रुपये करोड़ में)**
अलवर	1,44,634	28.93
भरतपुर	1,44,999	29.00
डीग	99,380	19.88

23वीं किस्त के तहत लाभान्वित लाभार्थियों का राज्य-वार विवरण और उन्हें जारी की गई राशि अनुबंध में दी गई है।

(च) एवं (छ): पीएम-किसान योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के भूमि अभिलेखों को लिंक करने, पात्रता सत्यापन, समयबद्ध शिकायत निवारण और ईकेवाईसी के माध्यम से लाभार्थियों का आवधिक रूप से पुन: सत्यापन एक नियमित प्रक्रिया है। राज्य समीक्षा बैठकों के माध्यम से इनकी नियमित रूप से मूल्यांकन, समीक्षा और निगरानी की जाती है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के समन्वय से व्यापक अभियान चलाती है। विकसित भारत संकल्प यात्रा (वीबीएसवाई) के तहत दिनांक 15 नवंबर 2023 से एक विशाल राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके दौरान पीएम-किसान योजना में 1 करोड़ से अधिक किसानों को शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त, सरकार की वर्ष 2024 की 100 दिवसीय पहल के तहत, पीएम-किसान योजना में 25 लाख से अधिक पात्र किसानों को जोड़ा गया। लंबित स्व-पंजीकरण मामलों को निपटाने के लिए सितंबर 2024 में एक विशेष अभियान भी चलाया गया, जिसके परिणामस्वरूप 3 लाख से अधिक नए किसान शामिल हुए। पीएम-किसान योजना के तहत पात्र किसानों की संख्या बढ़ाने के लिए दिनांक 1 जून 2026 से "खेत बचाओ अभियान" के साथ एक राष्ट्रव्यापी अभियान भी चलाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप पीएम-किसान योजना में लगभग 17 लाख नए किसान शामिल हुए हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश समय-समय पर व्यापक अभियान भी चलाते हैं ताकि योजना के तहत सभी अनिवार्य शर्तों को पूरा करने वाले पात्र किसानों की पहचान की जा सके और उनके नामांकन को सुगम बनाया जा सके।

अनुबंध

पीएम-किसान योजना के अंतर्गत 23वीं किस्त के तहत लाभान्वित लाभार्थियों और उन्हें जारी की गई राशि का राज्य-वार विवरण

#	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	23वीं किस्त (दिनांक 26 अप्रैल - 26 जुलाई)	
		लाभार्थियों की संख्या	वितरित राशि (रुपये करोड़ में)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	12,859	2.57
2	आंध्र प्रदेश	39,01,013	780.36
3	अरुणाचल प्रदेश	84,352	16.87
4	असम	18,98,137	380.39
5	बिहार	73,60,603	1,472.13
6	चंडीगढ़	321	0.06
7	छत्तीसगढ	24,51,263	490.92
8	दिल्ली	7,136	1.43
9	गोवा	3,372	0.67
10	गुजरात	51,85,361	1,040.66
11	हरियाणा	15,94,447	320.46
12	हिमाचल प्रदेश	8,17,759	163.91
13	जम्मू और कश्मीर	8,69,495	174
14	झारखंड	19,23,044	384.61
15	कर्नाटक	41,69,783	834.16
16	केरल	29,30,906	586.7
17	लद्दाख	18,371	3.68
18	लक्षद्वीप	2,170	0.43
19	मध्य प्रदेश	82,41,567	1,654.61
20	महाराष्ट्र	90,97,416	1,822.38
21	मणिपुर	6,833	1.37
22	मेघालय	1,83,722	36.77
23	मिजोरम	1,26,418	25.47
24	नागालैंड	1,91,238	38.28
25	ओडिशा	34,75,391	695.09
26	पुदुचेरी	7,637	1.53
27	पंजाब	11,49,175	229.88
28	राजस्थान	66,15,812	1,323.18
29	सिक्किम	35,433	7.09
30	तमिलनाडु	21,65,461	433.61
31	तेलंगाना	30,10,663	602.19
32	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	11,645	2.33
33	त्रिपुरा	2,15,867	43.17
34	उत्तर प्रदेश	2,20,40,256	4,412.51
35	उत्तराखंड	7,94,982	159
36	पश्चिम बंगाल	46,09,814	926.55
	कुल योग	**9,52,09,722**	**19,069.03**
